

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वर्षांत समीक्षा 2022

प्रलिस के लिये:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा की गई पहल

मेन्स के लिये:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वर्षांत समीक्षा, विभाग की पहल और उपलब्धियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2022 के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वर्षांत समीक्षा जारी की गई।

विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिये आरक्षण:
 - **103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** के माध्यम से संविधान में **अनुच्छेद 15(6) और 16(6)** शामिल किये गए थे।
 - ये अनुच्छेद राज्यों को सरकारी नौकरियों और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में **EWS के लिये 10% तक आरक्षण** प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं।
 - **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने नवंबर 2022 में संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 की वैधता को बरकरार रखा है।
- नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA):
 - NMBA को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था और पहले व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के नषिकर्षों एवं **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** से प्राप्त इनपुट के आधार पर 372 सबसे कमजोर जिलों में लागू किया गया है।
 - इसका उद्देश्य जनता तक पहुँच और उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों तथा स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करने, आश्रित आबादी तक पहुँचने एवं पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मादक द्रव्यों के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है।
 - **उपलब्धियाँ:**
 - **3 करोड़ से अधिक युवाओं और 2 करोड़ से अधिक महिलाओं सहित 9.3 करोड़** लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है।
 - NCC युवाओं तथा अन्य हतिधारकों के साथ जुड़ने एवं उन्हें शामिल करने के लिये नशे से आज़ादी- एक राष्ट्रीय युवा और छात्र संवाद कार्यक्रम 'नया भारत, नशा मुक्त भारत', 'NMBA द्वारा NCC के साथ संवाद' जैसे कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाता है।
 - **नशीली दवाओं की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR)** एक ऐसी योजना है जिसके तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
 - यह केंद्र और राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से नशा मुक्ति निवारक शिक्षा, जागरूकता पैदा करने, नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों की पहचान करने, परामर्श, उपचार और पुनर्वास व सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
- अनुसूचित जातियों के लिये प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ:
 - **राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना:**
 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) अनुसूचित जातियों, वसिक्त घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन खेतहिर मज़दूरों तथा पारंपरिक कारीगर श्रेणी से संबंधित कम आय वाले छात्रों को विदेश में अध्ययन करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
 - यह योजना चयनित उम्मीदवारों को विदेशों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में वहाँ की सरकार अथवा उस देश के एक अधिकृत निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
 - वर्ष 2021-22 से NOS के तहत सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है।

- अनुसूचति जातके छात्रों के लिये राष्ट्रीय फ़ैलोशिप (NFSC):
 - योजना का उद्देश्य अनुसूचति जातियों के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों में वजिज्ञान, मानविकी और सामाजिक वजिज्ञान वषियों में एमफलि, पीएचडी जैसे उच्च अध्ययन प्राप्त करने हेतु वत्तीय सहायता के रूप में फ़ैलोशिप प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री अनुसूचति जात अभ्युदय योजना (PM AJAY):
 - इसे तीन पूर्ववर्ती योजनाओं के वलिय के बाद तैयार कथिा गया है, ये हैं:
 - प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)
 - अनुसूचति जात उपयोजना के लिये वशिष केंद्रीय सहायता (SCA से SCSP)
 - बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना (BJRCY)
 - विकास:
 - अनुदान सहायता घटक (पूर्ववर्ती SCA से SCSP):
 - लाभार्थी/परिवार के लिये वत्तीय सहायता को 10,000/- रुपए से बढ़ाकर 50,000/- रुपए कर दथिा गया, जो परसिंपत्ता लागत का 50 प्रतशित है।
 - इसके लिये एक वेब आधारित पोर्टल का विकास कथिा गया है जसिका कार्य वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत करना, मूल्यांकन, अनुमोदन और नगिरानी करना है।
- राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग वत्त और विकास नगिम (NBCFDC):
 - NBCFDC को 1992 में कंपनी अधनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधनियम 2013 की धारा 8) के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल कथिा गया था जसिका उद्देश्य **अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC)** के लाभ के लिये आर्थिक और वकिसात्मक गतवधियों को बढ़ावा देने था।
 - उपलब्धियाँ:
 - वर्ष 2022 (जनवरी-नवंबर 2022) के दौरान NBCFDC ने 1.2 लाख से अधिक लाभार्थियों को 418 करोड़ रुपए आवंटित कथिा गए।
- डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (DAF):
 - DAF ने सविलि सेवा परीक्षा (CSE) हेतु अनुसूचति जातके छात्रों की कोचगि के लिये एक नई योजना डॉ. अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (DACE) शुरू की है, जसे पूरे देश के 30 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू कथिा गया है।
 - डॉ. अंबेडकर चकितिसा योजना को 173 लाभार्थियों के साथ सफलतापूर्वक लागू कथिा गया।
 - अंतरजातीय वविाहों के माध्यम से सामाजिक एकता के लिये डॉ. अंबेडकर योजना से 218 लाभार्थी लाभान्वत हिए।
- लक्षति कषेत्रों के हाईस्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिये आवासीय शकिसा की योजना "शरेश्ट":
 - सामाजिक न्याय और अधिकारति मंत्रालय "अनुसूचति जातियों के लिये काम करने वाले स्वैच्छक एवं अन्य संगठनों हेतु सहायता अनुदान" की केंद्रीय कषेत्र योजना को लागू करता है, जसिके तहत अनुसूचति जातके छात्रों को शकिसा कषेत्र से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों को वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
 - कर्योक्ति (SHRESHTA) मोड- I के तहत एक नया घटक योजना में जोड़ा गया है, जसिके तहत हर साल देश में एक नरिदषिट संख्या में मेधावी अनुसूचति जातके छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शकिसा के लिये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उच्च श्रेणी के आवासीय हाईस्कूलों हेतु चुना जाएगा।
- प्रधानमंत्री दक्षता और कुशल संपन्न हतिग्राही (पीएम दक्ष/PM DAKSH) योजना:
 - पीएम दक्ष योजना के तहत SJE वभिग के अंतरगत नगिमों (NSFDC, NBCFDC और NSKFDC) के माध्यम से SC, OBCs, EBCs, DNTs, कचरा बीनने वालों, सफाई कर्मचारियों सहति वंचति व्यक्तियों को कौशल प्रदान कथिा जाता है।
 - इसके तहत NSFDC का लक्ष्य वर्ष 2022-23 के दौरान 20,600 लोगों को कौशल प्रशकिसण प्रदान करना है।
 - उपलब्धियाँ:
 - वर्ष 2022 के दौरान NBCFDC ने 19553 प्रशकिसणों के लिये कौशल विकास प्रशकिसण कार्यक्रमों को मंजूरी दी है।
- यंत्रिकृत स्वच्छता पारसिथितिकी तंत्र के लिये राष्ट्रीय कार्रवाई (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem- NAMASTE):
 - नमस्ते/NAMASTE की उपलब्धियाँ:
 - वभिनिन कौशल विकास प्रशकिसण कार्यक्रमों के तहत 3944 मैला ढोने वालों/आश्रतियों को शामिल करना।
 - RPL/अपसकलिंग प्रशकिसण कार्यक्रम के तहत 8396 सफाई कर्मचारियों को शामिल कथिा गया।
 - सामान्य स्वरोजगार कार्यक्रम के लिये 445 मैला ढोने वालों/आश्रतियों को 8.17 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई।
- ट्रांसजेंडर:
 - आयुष्मान भारत योजना के साथ अभसिरण में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यापक चकितिसा पैकेज प्रदान करने के लिये वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधकिसण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कथिा गए हैं।
 - इस व्यापक पैकेज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये संक्रमण संबंधी स्वास्थ्य देखभाल के सभी पहलुओं को शामिल कथिा जाएगा। यह हार्मोन थेरेपी, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिये कवरेज भी प्रदान करेगा (संपूर्ण नहीं), जसिमें ऑपरेशन के बाद की औपचारकितार्ण शामिल हैं, इसमें सभी नजि और सरकारी स्वास्थ्य सुवधियों का लाभ उठाया जा सकता है।

स्रोत: पी.आई.बी.

